



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 2470 /2026

इंद्रेश विश्वकर्मा और अन्य

..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक अधिवक्ता	:	मनोज त्रिपाठी, संतोष कुमार सिंह पालीवाल यादव
प्रतिवादी अधिवक्ता	:	जी.ए.,

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. लिस्ट में बदलाव किया गया है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री संतोष कुमार सिंह पालीवाल यादव, मुखबिर के अधिवक्ता श्री कमलेश कुमार तिवारी और राज्य के अधिवक्ता ए.जी.ए. श्री राम मोहित यादव को सुना और रिकॉर्ड देखा।
3. आवेदक मुकदमा अपराध संख्या 541/2025, धारा 191(2), 109, 117(2), 131, 351(2), 103(1), 115(2), 352 बीएनएस, पुलिस स्टेशन सहजनवा, जिला गोरखपुर के अंतर्गत मुकदमा लंबित रहने के दौरान जमानत चाहते हैं।
4. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा है कि इसी तरह के सह-अभियुक्त अमरजीत विश्वकर्मा को इस न्यायालय ने 20.1.2026 के ऑर्डर के ज़रिए आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 1583/2026 में पहले ही जमानत पर रिहा कर दिया है। आवेदक 12.10.2025 से जेल में बंद हैं, उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि चूंकि आवेदक का भूमिका सह-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अभियुक्त जैसा ही है, जिसे पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है, इसलिए वे भी समानता के आधार पर जमानत पर रिहा होने के हकदार हैं।

5. जमानत की अर्जी का ए.जी.ए. और मुखबिर के अधिवक्ता ने जोरदार विरोध किया है। हालाँकि, सह-अभियुक्त से समानता और आवेदकों का कोई आपराधिक इतिहास न होने की ऊपर बताई गई असल बातों पर उन्होंने कोई सवाल नहीं उठाया है।

6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पार्टियों के अधिवक्ताओं की दलीलें, रिकॉर्ड में मौजूद सबूत, और पारस राम विश्वाई बनाम निदेशक, केंद्रीय जांच ब्यूरो, मनु/एससीओआर/22410/2021 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और नन्हा पुत्र नभान खा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1993 क्रि.एल.जे. 93 के मामले में इस न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखते हुए, साथ ही सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो अन्य और 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 825 में रिपोर्ट किए गए दूसरे मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को भी ध्यान में रखते हुए, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय का मानना है कि आवेदक ने समानता के आधार पर जमानत के लिए मामला बनाया है। समानता के आधार पर जमानत अर्जी मंजूर की जाती है।

7. ऊपर बताए गए केस क्राइम नंबर में शामिल आवेदक - इंद्रेश विश्वकर्मा और कार्तिक विश्वकर्मा को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि लिए एक व्यक्तिगत बॉन्ड और उतनी ही रकम के दो जमानतदार देने पर इन शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाता है।

(i) आवेदक जमानत के दौरान सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक सरकारी गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराया-धमकाएगा।

(iii) आवेदक तय तारीख पर विचारण न्यायालय के सामने पेश होगा।

8. ऊपर दी गई किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, अभियोग पक्ष को इस न्यायालय में जमानत रद्द करने का आवेदन देने की आजादी होगी। बॉन्ड स्वीकार करने से पहले, आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और रहने का सबूत संबंधित न्यायालय से सत्यापित किया जाएगा।

9. हालांकि, यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय में लंबित ऊपर बताए गए मामले का फैसला विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य; 2015 (3) एससीसी 220 और हुसैन और अन्य बनाम भारत संघ; (2017) 5 एससीसी 702 के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के हाल के फैसलों

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



में बताए गए सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए जल्दी किया जाए, अगर कोई कानूनी रुकावट नहीं है।

10. यह साफ़ किया जाता है कि आवेदक को जमानत देते समय की गई बातें, गवाहों की गवाही पर अपनी अलग राय बनाने में विचारण न्यायालय पर किसी भी तरह से असर नहीं डालेंगी।

(माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

27 जनवरी, 2026

(विकास वर्मा)